'सभी रेस्ट्रॉन्ट में लागू हो समान जीएसटी'

जीएसटी में असमानता के चलते उद्योग को हो रहा है 30-40 प्रतिशत का नुकसान

■ वरिष्ठ संवाददाता, मुंबई

होटल ऐंड रेस्ट्रॉन्ट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया (एचआरएडब्ल्यूआई) ने सरकार से देश के सभी रेस्ट्रॉन्ट में एक समान जीएसटी की दरें लागू करने की मांग की है। होटल के भीतर चलने वाले रेस्ट्रॉन्ट और सिर्फ रेस्ट्रॉन्ट में अलग-अलग जीएसटी की दरें होने के कारण उद्योग को करीब 30 से 40 फीसदी का नुकसान हो रहा है। जिन होटलों में कमरे का किराया 7500 रुपये से अधिक है, ऐसे होटलों के रेस्ट्रॉन्ट में भोजन करने पर ग्राहकों को 18 फीसदी जीएसटी के साथ

AI Image

विल का भुगतान करना पड़ता है। वहीं, 7500 रुपये से कम दर वाले होटल के रेस्ट्रॉन्ट या सिर्फ रेस्ट्रॉन्ट में भोजन करने पर ग्राहकों को विल के साथ केवल 5 प्रतिशत की जीएसटी देनी पड़ती है। एचआरएडब्ल्यूआई के अध्यक्ष प्रदीप शेट्टी ने सरकार से रेस्ट्रॉन्ट में भोजन पर जीएसटी की अलग-अलग दरों को खत्म करने की मांग की है।

ग्राहकों पर असर

प्रदीप के अनुसार, होटलों के कमरे के किराए की दरें सीजन के अनुसार आगे-पीछे होती हैं। ऐसे में सीजन के वक्त होटल में खाना खाने पर ग्राहकों को अधिक पैसे चुकाने पड़ते हैं। वहीं, पैसे बचाने के लिए बहुत से ग्राहक होटल के बाहर के रेस्ट्रॉन्ट में खाना खाने जाते हैं। सरकार को होटल के कमरे की जीएसटी की दरों को रेस्ट्रॉन्ट पर लागू नहीं करना चाहिए। सभी रेस्ट्रॉन्ट में 5 प्रतिशत की जीएसटी लगानी चाहिए, ताकि उद्योग के साथ ही ग्राहकों के भी पैसे बच सके।

एचआरएडब्ल्यूआई के पूर्व अध्यक्ष कमलेश वारोट के मुताबिक, जीएसटी में विभिन्नता होने के कारण सेक्टर को करीब 30 से 40 फीसदी का नुकसान हो रहा है। वहीं, जीएसटी की विभिन्नता की जानकारी नहीं होने के कारण कई बार ग्राहकों और मैनेजर से बहस होने लगती है।